भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 86

जिसका उत्तर 25 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

जल भंडारण क्षमता में कमी

86. श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल भंडारण क्षमता को घटाकर 41.5 मीटर (135 फीट) कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह परियोजना 41.5 मीटर भंडारण क्षमता के साथ पूरी की जाएगी और मंत्रिमंडल ने इसके लिए 30,436 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं;

(ग) कया आंध्र प्रदेश सरकार ने पहले 45.72 मीटर (150 फीट) जल भंडारण क्षमता निर्धारित करने के लिए प्रस्ताव भेजे थे और संशोधित अनुमान भी मांगे थे; और

(घ) यदि हां, तो क्षमता को कम करने और 55,657 करोड़ रुपए की परियोजना के संशोधित लागत अनुमानों को स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): पोलावरम सिंचाई परियोजना की जल भंडारण क्षमता को नहीं घटाया गया है और +45.72 मीटर के ऊंचाई स्तर पर पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) के साथ जीडब्ल्यूडीटी अवार्ड-1980 के प्रावधानों के अनुसार परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) से (घ): जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की सलाहकार समिति ने फरवरी, 2019 में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर आयोजित अपनी 141 वीं बैठक में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत पोलावरम सिंचाई परियोजना की दूसरी संशोधित अनुमानित लागत के लिए 55,656.87 करोड़ रुपये स्वीकार कर लिया था।

परियोजना से प्रारंभिक लाभ प्राप्त करने के लिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने +41.15 मीटर ऊंचाई स्तर - न्यूनतम ड्रा डाउन स्तर तक जल भंडारण के साथ अगस्त, 2023 में संशोधित अनुमानित लागत को प्रस्तुत किया है, जिसमें +45.72 मीटर ऊंचाई स्तर पर पूर्ण जलाशय स्तर के लिए बांध, स्पिलवे और सहायक संरचनाओं जैसे परियोजना घटकों का निर्माण और +41.15 मीटर ऊंचाई स्तर तक भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन कार्य शामिल हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने '+41.15 मीटर ऊंचाई स्तर यानी न्यूनतम ड्रॉ डाउन स्तर तक जल भंडारण के साथ पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए संशोधित लागत' के लिए 30,436.95 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

******